

न्यायालय अपर जिला कलक्टर (प्रथम), जोधपुर
पीठासीन अधिकारी श्री छगन लाल गोयल आर०ए०एस०

पंचायत निगरानी सं. – 10/2019

प्रार्थी

विकास अधिकारी, पंचायत समिति, जोधपुर मुख्यालय मण्डोर ।

बनाम

अप्रार्थीगण

1. देवाराम पुत्र बींजाराम जाति जटिया निवासी ग्राम आंगणवा तहसील व जिला जोधपुर ।
2. ग्राम पंचायत सुरपुरा, पंचायत समिति जोधपुर मुख्यालय मंडोर जरिये सचिव ।

निगरानी प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 97, राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम 1994 विरुद्ध पट्टा विलेख संख्या- 48 दिनांक 7.10.99 मिसल संख्या-22/1999-2000 जो ग्राम पंचायत सुरपुरा, पंचायत समिति जोधपुर मुख्यालय मण्डोर द्वारा अप्रार्थी संख्या-1 के पक्ष में जारी किया गया, को निरस्त करने बाबत ।

— — —

उपस्थिति :-

1. प्रार्थी की ओर से अभिभाषक श्री जी० के० बोहरा उपस्थित ।
2. अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से अभिभाषक श्री आवड़दान उज्जवल उपस्थित ।

—आदेश —

दिनांक :30.01.2019

संक्षिप्त में पुनरीक्षण के तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थी विकास अधिकारी पंचायत समिति जोधपुर मुख्यालय मण्डोर द्वारा कथित फर्जी पट्टों की जांच करने पर पाया गया कि अप्रार्थी सं०-2 ग्राम पंचायत सुरपुरा, पंचायत समिति जोधपुर (मण्डोर) ने आबादी भूमि विक्रय के नियमों के विधि विरुद्ध एवं नियमों के विरुद्ध कर जरिये पट्टा विलेख नम्बर 48 दिनांक 07.10.99 जो मिसल संख्या 22/1999-2000 अप्रार्थी संख्या 1 श्री देवाराम पुत्र बींजाराम जाति जटिया निवासी आंगणवा, तहसील व जिला जोधपुर के पक्ष में जारी किया गया, को निरस्त कराने के लिए यह निगरानी अन्तर्गत धारा 97, राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम, 1994 के तहत पेश हुई ।

यह पुनरीक्षण प्रार्थना-पत्र सर्वप्रथम न्यायालय जिला कलक्टर जोधपुर के यहां पेश हुई । पुनरीक्षण प्रार्थना-पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीपक्ष को नोटिस जारी किये गये तथा ग्राम पंचायत सुरपुरा से मूल अभिलेख भी तलब किया गया । अप्रार्थी-1 की ओर से अधिवक्ता श्री आवड़दान उज्जवल ने वकालतनामा पेश किया । ग्राम पंचायत से रेकॉर्ड के रूप में केवल पट्टे की मूल प्रति प्राप्त हुई ।

श्रीमान जिला कलक्टर महोदय, जोधपुर के आदेश क्रमांक/डीएम/रीडर/18/1927 दिनांक 28.12.2018 के द्वारा सुनवाई हेतु मुंतकिल की गई। पत्रावली प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस दिनांक 08.01.2019 को सुनी गई।

अप्रार्थीपक्ष की ओर से दिनांक 05.03.2018 को प्रारम्भिक आपत्तियां और दिनांक 24.12.2018 को लिखित में बहस प्रस्तुत की गई। दिनांक 08.01.2019 को उभयपक्ष के अभिभाषकगण की गुणावगुण पर बहस सुनी गई।

अप्रार्थी संख्या 1 के अभिभाषक की प्रारम्भिक आपत्तियां सुनी गई। अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से प्रारम्भिक आपत्तियों का प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत कर कथन किया कि विकास अधिकारी पंचायत समिति जोधपुर तथा पंचायत प्रसार अधिकारी पंचायत समिति जोधपुर द्वारा संयुक्त रूप से तथ्यात्मक रिपोर्ट के आधार पर पुनरीक्षण प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया। इस बाबत वक्त जांच के दौरान अप्रार्थी संख्या 1 को सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों की पालना नहीं की गई। इस कारण प्रस्तुत पुनरीक्षण प्रार्थना-पत्र खारिज योग्य होना बताया। प्रस्तुत पुनरीक्षण प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायत राज अधिनियम, 1994 परिसीमा विधि से वर्जित होने के आधार पर पोषणीय नहीं है। क्योंकि धारा 137 परिसीमा अधिनियम 1963 के अनुसार जहां परिसीमा के बारे में कोई प्रावधान नहीं हो वहां 3 वर्ष का प्रावधान लागू होता आया है। प्रस्तुत निगरानी 3 वर्ष के बाद प्रस्तुत की है जो चलने योग्य नहीं है। निगरानी विलम्ब से प्रस्तुत करने बाबत कोई शपथ-पत्र भी प्रस्तुत नहीं किया।

अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत प्रारम्भिक आपत्तियों के प्रार्थना-पत्र पर बहस सुनी गई। प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र में मुख्य आपत्ति निगरानी समय अवधि में प्रस्तुत नहीं की गई। इस बाबत राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 व राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 में समय अवधि का कोई प्रावधान नहीं है। अतः अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत प्रारम्भिक आपत्तियों का प्रार्थना-पत्र एतद् निरस्त किया जाता है।

प्रार्थीपक्ष के विद्वान अधिवक्ता ने कहा कि पुनरीक्षण प्रार्थना-पत्र में वर्णित तथ्यों को ही बहस समझी जाय। प्रार्थीपक्ष की ओर से पुनरीक्षण प्रार्थना-पत्र में अवगत कराया कि लोकायुक्त सचिवालय जयपुर के समक्ष ग्राम आंगणवा में ग्राम पंचायत सुरपुरा के पूर्व सरपंचों द्वारा अपने कार्यकाल के दौरान विधि विरुद्ध एवं नियमों के विरुद्ध जाकर सैकड़ों पट्टे जारी करने की शिकायत पेश होने पर मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद जोधपुर के पत्रांक 969 दिनांक 02.03.2016 के सन्दर्भ में विकास अधिकारी, पंचायत समिति जोधपुर (मण्डोर) ने जांच कर जांच रिपोर्ट मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद जोधपुर को प्रेषित की गई। जांच रिपोर्ट में पाया गया कि अप्रार्थी-2 ग्राम पंचायत सुरपुरा द्वारा मिसल सं० 22/1999-2000 के आधार पर अप्रार्थीपक्ष सं०-एक के पक्ष में दिनांक 7.10.99 को पट्टा विलेख सं. 48 विधि एवं नियमों के विरुद्ध जारी किया गया। आगे यह भी लिखा कि पट्टा बुक नियमानुसार ग्राम पंचायत की मांग के अनुसार संबंधित पंचायत समिति के द्वारा जारी की जाती है, परन्तु इस आलौच्य पट्टा से संबंधित पट्टा रजिस्टर ग्राम पंचायत ने सीधे बाजार से खरीदकर पट्टा विलेख जारी किये गये जो विधि मान्य नहीं हो सकता है।

प्रार्थी के अभिभाषक ने बहस में कहा कि मूल पट्टो की तीसरी प्रति पंचायत समिति में जमा करावानी अनिवार्य होती है परन्तु ग्राम पंचायत ने जानबूझकर मूल पट्टे की तृतीय कॉपी पंचायत समिति में जमा नहीं करवाकर नियमों का उल्लंघन किया है। यह राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 168(3) के तहत अनिवार्य है।

प्रार्थी के अभिभाषक ने अपनी निरन्तर बहस में कहा कि राजस्थान पंचायतीराज नियम, 1996 के नियम 145 के तहत पट्टा प्राप्त करने वाले व्यक्ति को क्रय के लिए प्रस्तावित भूमि का सम्पूर्ण विवरण दर्ज कर ऐसी भूमि का नक्शा संलग्न कर आवेदन किया गया, परन्तु फीस जमा कराने की रसीद का अंकन नहीं है। पुनरीक्षण में आगे यह भी बतलाया कि नियम 148 में आपत्तियां आमंत्रित करना, नियम 149 के तहत प्राप्त आपत्तियां का निपटारा एवं नियम 150 पंचायत द्वारा पट्टा जारी करने का संकल्प लेकर, नियम 151 में निलामी की कमेटी गठित करना, नियम 152 में विद्यमान बाजार कीमत से शुरू निलामी की कार्यवाही करने का प्रावधान है, जो प्रक्रिया नहीं अपनाई गई। राजस्थान पंचायतीराज नियम, 1996 के नियम 142 के तहत आबादी भूमि के विकास के लिए भूमि का पंचायतीराज विभाग में पदस्थापित नगर आयोजन अधिकारी द्वारा अनुमोदित कराकर विकास योजना के अनुसार नीलाम व आवंटन की कार्यवाही ग्राम पंचायत द्वारा किये जाने का प्रावधान है, जिसकी ग्राम पंचायत द्वारा पालना नहीं की गई। राज. पंचायतीराज अधिनियम, 1994 की धारा 97 के तहत पुनरीक्षण कार्यवाही में परिसीमा बाधित नहीं है फिर भी प्रार्थी द्वारा देरी कन्डोन की प्रार्थना की है। आलौच्य पट्टा नियमों एवं विधि विरुद्ध जारी करने से निरस्त योग्य है, जो निरस्त किया जावे।

अप्रार्थीपक्ष—एक के विद्वान अधिवक्ता ने लिखित बहस दिनांक 24.12.2018 को प्रस्तुत की तथा दिनांक 08.01.2019 को मौखिक बहस में निवेदन किया कि जिस तथ्यात्मक रिपोर्ट के आधार पर यह प्रार्थना—पत्र प्रस्तुत किया गया है उसमें अप्रार्थीगण को सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया है।

अप्रार्थीपक्ष—एक के विद्वान अधिवक्ता ने बहस में कहा कि पुनरीक्षण प्रार्थना—पत्र अत्यधिक देरी से पेश किए गए हैं तथा प्रार्थना—पत्र के समर्थन में देरी माफ करने हेतु कोई प्रार्थना—पत्र व शपथ—पत्र पेश नहीं किया गया है। इसलिए पुनरीक्षण प्रार्थना—पत्र खारिज किए जाने योग्य है।

अप्रार्थीपक्ष—एक के विद्वान अधिवक्ता ने बहस में कहा कि रिकॉर्ड मेन्टेन करने व पट्टा जारी करने बाबत कार्यवाही करने का कार्य संबंधित कर्मचारी करते हैं। जिसके लिए अप्रार्थी संख्या 1 को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। अप्रार्थी संख्या 1 संबंधित भूखण्ड पर अपना आवास बना कर लम्बे समय से रह रहे हैं, जिनको चिरभोगाधिकार के आधार पर स्वत्व प्राप्त हो चुका है।

अप्रार्थीपक्ष—एक के विद्वान अधिवक्ता ने बहस में कहा कि राजस्थान पंचायती राज 0 अधिनियम, 1994 की धारा 61 सपटित नियम 166 राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के अनुसार ग्राम पंचायत के आदेश, आवंटन पट्टा जारी करने के आदेश के विरुद्ध अपील होती है इसलिए अपील का वैकल्पिक उपचार उपलब्ध होने के कारण यह पुनरीक्षण याचिका धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 के तहत पोषणीय नहीं है। इस बाबत माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय की खण्डपीठ ने डी0 बी0 सिविल स्पेशल अपील (रीट) नम्बर — 108/2006 पन्नालाल वगैरा बनाम श्रीमती सुशीला देवी वगैरा, निर्णय दिनांक 12.02.2008 में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किए कि ग्राम पंचायत के पट्टा जारी आदेश करने के विरुद्ध अपील का प्रावधान उपलब्ध है इसीलिए धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 के तहत पुनरीक्षण याचिका पोषणीय नहीं है इसलिए पुनरीक्षण याचिका खारिज किए जाने का निवेदन किया।

हमने उभयपक्ष अभिभाषकगण द्वारा प्रस्तुत बहस पर मनन किया। प्रस्तुत निगरानी का अध्ययन किया और अधीनस्थ न्यायालय से प्राप्त मूल रेकॉर्ड का भी अवलोकन किया।

अप्रार्थीपक्ष संख्या 1 के विद्वान अभिभाषक का मुख्य कथन रहा कि निगरानी में कालबाधित पट्टे को चुनौती दी गई है चूंकि राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम, 1994 की धारा 61 के तहत पंचायत के किसी आदेश के विरुद्ध 30 दिवस के भीतर पंचायत समिति के समक्ष अपील पेश करने का प्रावधान है, परन्तु आलौच्य पट्टा जारी 1999 में किये जाने से अपील मियाद समाप्त हो चुकी है। राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम, 1994 की धारा 97 में यह भी स्पष्ट किया गया कि “ राज्य सरकार, स्वप्रेरणा से या किसी भी हितबद्ध व्यक्ति द्वारा आवेदन किये जाने पर पर, किसी भी कार्यवाहियों के संबंध में, किसी पंचायती राज संस्था या उसकी किसी स्थायी समिति या उपसमिति का अभिलेख उनमें पारित किसी भी विनिश्चय या आदेश के सही होने, उसकी विधिकता औचित्य के बारे में या ऐसी कार्यवाहियों की नियमितता के बारे में स्वयं का समाधान करने के लिए मंगा सकेगी और उसकी परीक्षा कर सकेंगी और, यदि किसी मामले में, राज्य सरकार को यह प्रतीत हो कि ऐसे किसी भी विनिश्चय या आदेश को उपान्तरित या बातिल किया, उलट दिया या पुनर्विचारार्थ विप्रेषित किया जाना चाहिए तो वह तदनुसार आदेश कर सकेगी। ”

इस प्रकरण में पटवारी (भू0अ0) ग्राम आगणवा ग्राम पंचायत सूरपुरा तहसील जोधपुर से ग्राम आगणवा से सम्बन्धित पट्टे की मौका रिपोर्ट प्राप्त की गई। पटवारी हल्का की मौका रिपोर्ट दिनांक 21.01.2019 व राजस्व रेकॉर्ड के अनुसार अप्रार्थी संख्या 1 देवाराम पुत्र बीजाराम जाति जटिया को पट्टा विलेख 48 दिनांक 7.10.99 को जो खसरा नं० 73 में जारी होना बताया उक्त भूमि नगर सुधार न्यास (जोधपुर विकास प्राधिकरण), जोधपुर के नाम राजस्व रेकॉर्ड में दर्ज है जिसकी किस्म गैर मुमकिन पहाड़ है। अतः उपरोक्त भूमि पर ग्राम पंचायत सूरपुरा को पट्टा विलेख जारी करने का कोई विधिक अधिकार नहीं होते हुए भी सरकारी भूमि का पट्टा जारी कर दिया है, जो विधि विरुद्ध है। ग्राम पंचायत को अपनी आबादी भूमि में ही पट्टा विलेख जारी करने का अधिकार है।

आदेश

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर विकास अधिकारी पंचायत समिति, जोधपुर मुख्यालय मण्डोर द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार की जाकर अप्रार्थी संख्या 1 देवाराम पुत्र बीजाराम जाति जटिया ग्राम आगणवा तहसील व जिला जोधपुर को पट्टा विलेख संख्या 48 दिनांक 7.10.99 जो मिसल संख्या 22/1999-2000 जो ग्राम पंचायत सूरपुरा द्वारा जारी किया गया को एतद् निरस्त किया जाता है। निर्णय पत्रावली के सलंग्न हो। निर्णय प्रति के साथ प्राप्त मूल रिकॉर्ड ग्राम पंचायत सूरपुरा को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हो।

(छगन लाल गोयल)
अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर।

निर्णय दिनांक 30.01.2019 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

अपर जिला कलक्टर(प्रथम)
जोधपुर।